सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

#मॉडल_स्टेट_राजस्थान

4 वर्ष

जनसेवा, सबका सम्मान
आगे बढ़ता राजस्थान

सेवा ही कर्म, सेवा ही धर्म

राजस्थान सरकार के

फ्लैगशिप कार्यक्रम एवं उपलब्धियां

राज्य सरकार ने अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं को "फ्लैगशिप कार्यक्रम" के रूप में चिह्नित कर गांव, गरीब एवं कमज़ोर वर्ग के उत्थान का प्रयास किया है। हमारी कोशिश है कि "फ्लैगशिप कार्यक्रम" के माध्यम से समाज के कमज़ोर वर्गों के व्यक्तियों का सशक्तीकरण कर उन्हें विकास की मुख्यधारा में शामिल किया जाए।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं इंदिरा रसोई योजना जैसे कार्यक्रम इसकी एक बानगी हैं। ये कार्यक्रम आम आदमी की उन्नति, सामाजिक सुरक्षा और सुशासन के प्रति सरकार की वचनबद्धता के प्रतीक हैं। इन्हीं प्रयासों का संक्षिप्त विवरण यहां दिया जा रहा है। मेरी आपसे अपील है कि इन योजनाओं का अधिकाधिक फायदा उठाएं एवं अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें।

अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

1 मई, 2021 से शुरू की गयी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रदेश के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा था। इसे 1 अप्रेल, 2022 से बढ़ाकर 10 लाख रुपये प्रति परिवार कर दिया गया है एवं 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले एवं 15 दिन बाद तक का उपचार व्यय शामिल है। योजना के अंतर्गत जन-आधार डेटाबेस से जुड़े/पंजीकृत वे परिवार हैं जो निःशुल्क श्रेणी के अर्न्तगत पात्रता रखते हैं अथवा निर्धारित प्रीमियम का भुगतान कर योजना में पंजीकृत हुए हैं। निःशुल्क श्रेणी में एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत पात्र लाभार्थी परिवार, सामाजिक आर्थिक जनगणना (एस.ई.सी.सी.) 2011 के पात्र परिवार, प्रदेश के समस्त विभागों/बोर्ड/ निगम/सरकारी कम्पनी में कार्यरत संविदा कार्मिक, लघु एवं सीमांत कृषक एवं कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार सम्मिलित हैं।

शेष परिवार प्रीमियम के 50 प्रतिशत (850 रुपये) का भुगतान कर योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। कॉकलियर इंप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट एवं बोनमैरो ट्रांसप्लांट के पैकेज मरीज को देय 10 लाख के वॉलेट के अतिरिक्त हैं।

योजना से अब तक प्रदेश के 27.60 लाख से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क इलाज से लाभान्वित किया जा चुका है तथा 3,195 करोड़ रुपये की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई।

योजना में 834 राजकीय एवं 899 निजी चिकित्सालय संबद्ध हैं।

शुद्ध के लिए युद्ध

राज्य में खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए "शुद्ध के लिए युद्ध" अभियान चलाया जा रहा है। विभिन्न त्यौहारों (होली, दीपावली, रक्षाबंधन आदि) पर विशेष अभियान चलाया जाता है।

शुद्ध सामग्री उपलब्ध कराने व मिलावटखोरों के विरूद्ध कड़े कदम उठाने हेतु राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया। इसे और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल आयुक्तालय स्थापित किया गया। इसके अधीन 200 नए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पद सृजित किए गए हैं।

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक खाद्य पदार्थों के 33,329 नमूने लिए गए, जिनमें से 7,126 मिलावटी प्रकरण पाये गये। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने के 5680 प्रकरणों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। जिनमें से 2,270 निर्णित हो चुके हैं। निर्णित प्रकरणों में 8.29 करोड़ रूपये की जुर्माना राशि लगायी गई है।

निरोगी राजस्थान अभियान

योजना के तहत प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित गतिविधियों के साथ ही बीमारियों की रोकथाम व उपचार की व्यवस्था है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम, वृद्धावस्था में स्वास्थ्य की देखभाल, महिला स्वास्थ्य, किशोरावस्था स्वास्थ्य, संचारी रोग, गैर संचारी रोग, टीकाकरण एवं वयस्क टीकाकरण, व्यसन रोग, खाद्य पदार्थों में मिलावट और प्रदूषण शामिल हैं।

अभियान के तहत राज्य के प्रत्येक आबाद राजस्व ग्राम में स्वेच्छा से कार्य करने वाले दो स्वास्थ्य मित्रों (एक महिला एवं एक पुरुष) कुल 82,613 का चयन कर प्रशिक्षित किया जा चुका है। राज्य के शहरी वार्डों में कुल 14,373 स्वास्थ्य मित्रों का चयन कर प्रशिक्षित किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना

मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल, 2013 से लागू की गई। राजकीय अस्पतालों में संपूर्ण उपचार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जनहित में यह योजना शुरू की गई। इसके अन्तर्गत एसएमएस मेडिकल कॉलेज एवं सम्बंद्ध अस्पतालों में 1,033, मेडिकल कॉलेज अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा एवं आरयूएचएस में 689, राजमेस मेडिकल कॉलेज एवं जिला, उप जिला, सैटेलाइट चिकित्सालयों में 96, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 37, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व डिस्पेन्सरी चिकित्सालयों में 15 प्रकार की एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में 14 प्रकार की जांचे निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। योजना के अंतर्गत प्रतिदिन 1.25 से 1.50 लाख जांचे निःशुल्क की जा रही हैं तथा प्रतिवर्ष लगभग 2

करोड़ मरीजों की 6 करोड़ से अधिक निःशुल्क जांचे की जा रही हैं।

योजना में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 1127.84 करोड़ रुपये का व्यय कर 2,390 लाख जांचें कर 8 करोड़ 17 लाख मरीजों को लाभान्वित किया गया।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 से लागू की गई। राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले सभी अंतरंग एवं बहिरंग रोगियों को आवश्यक दवा सूची में शामिल 1594 प्रकार की दवाइयों, 928 सर्जिकल एवं 185 सूचर्स सहित कुल 2707 दवाइयां, सर्जिकल व सूचर्स निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं।

राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों में दवा वितरण करने के लिए 33 ज़िला मुख्यालयों पर 40 ज़िला औषधि भंडार गृह स्थापित हैं। दवाइयों की अनुपलब्धता होने पर राजकीय चिकित्सालयों की मांग अनुसार स्थानीय स्तर पर क्रय कर उपलब्ध करवाई जाती हैं।

योजना में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 3680 करोड़ रुपये व्यय किये गये।

इन्डोर एवं आपातकालीन मरीजों के लिए दवा की उपलब्धता 24 घंटे सुनिश्चित करवाई जा रही है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

एक रुपये किलो गेहूं

यह योजना राज्य सरकार की एक अभिनव पहल है। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को 1 रु. किलो की दर से गेहूं उपलब्ध करवाया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अन्त्योदय, राशन कार्ड धारियों को 35 किलोग्राम प्रति राशनकार्ड तथा बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट प्रतिमाह 1 रु. किलो की दर से गेहूं उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस क्रम में 1 जनवरी, 2019 को लाभार्थियों की संख्या के अनुसार अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल श्रेणी के कुल 1 करोड़ 74 लाख लाभार्थियों के लिए 1 मार्च, 2019 से 2 रुपये के स्थान पर 1 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं वितरण की नवीन योजना प्रारंभ की गई। राज्य सरकार द्वारा अब तक 381 करोड़ रुपये वहन किये गए हैं।

मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना

राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले राजस्थान के निवासियों को शत-प्रतिशत दवाइयां एवं जाँच निःशुल्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना दिनांक 1 मई, 2022 से प्रारम्भ की गयी है। जिससे अब राजकीय चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध आउटडोर (ओपीडी) एवं इनडोर (आईपीडी) सुविधाएं समस्त प्रदेशवासियों को पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। योजना में 1,594 दवाइयों तथा 1,113 सर्जिकल्स एवं सूचर्स को आवश्यक दवा सूची में शामिल किया जा चुका है।

महात्मा गांधी (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) कक्षा 1 से 12 तक स्थापित करने का निर्णय लिया गया। 1,670 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में 3,03,146 नामांकन हो चुके हैं।

इन विद्यालयों की लोकप्रियता एवं इनमें प्रवेश के लिए अभिभावकों एवं विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एक-एक हज़ार महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय और शुरू किये जाने की घोषणा वर्ष 2022-23 के बजट में की गई है।

मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना

राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म देने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 29 नवम्बर, 2022 को मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना प्रारम्भ की है। इस योजना से विद्यार्थियों में सामाजिक समरसता एवं एकरूपता आयेगी तथा अनुशासनात्मक परिवेश का विकास भी होगा। योजना के अन्तर्गत 67.58 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म के दो सैट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

यूनिफॉर्म की सिलाई हेतु राशि रुपये 200 प्रति विद्यार्थी डीबीटी के माध्यम से हस्तान्तरित की जा रही है। योजना के क्रियान्वयन में 500.10 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना

मिड डे मील योजना के अन्तर्गत विद्यार्थियों के पोषण स्तर में वृद्धि और आवश्यक मैक्रो व माइक्रो न्यूट्रिएन्ट्स की पूर्ति करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत विद्यार्थियों को सप्ताह में दो दिवस (मंगलवार एवं शुक्रवार) को पाउडर मिल्क से तैयार दूध 29 नवम्बर, 2022 से उपलब्ध कराया जा रहा है।

योजनान्तर्गत राजकीय विद्यालय (संस्कृत विद्यालय सहित) एवं मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक के 69.22 लाख विद्यार्थियों को प्रार्थना सभा के बाद पाउडर मिल्क से तैयार दूध दिया जा रहा है। कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों को 150 एमएल एवं कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को 200 एमएल दूध उपलब्ध कराया जा रहा है।

योजनान्तर्गत राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन से प्राप्त पाउडर मिल्क का रुपये 400 प्रति किलो की दर, गिलास क्रय हेतु प्रति विद्यार्थी रुपये 40, दूध गर्म करने हेतु गैस सिलेण्डर के लिये रुपये 1500 प्रतिमाह, चीनी अधिकतम रुपये 45 प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराई जाती है।

नवीन विद्यालयों में आवश्यक बर्तन क्रय किये जाने के लिए अधिकतम राशि रुपये 15000 एवं समस्त विद्यालयों में दूध तैयार कर गर्म करने, बर्तनों की साफ-सफाई के लिये एक व्यक्ति की सेवाऐं लेने हेतु रुपये 500 प्रतिमाह का प्रावधान किया गया है।

राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिये 476.44 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है।

मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना

योजना में 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला, जो राजस्थान की मूल निवासी हो, जिसकी स्वयं की नियमित आय का कोई स्त्रोत नहीं हो अथवा समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय 48 हज़ार रुपये से कम हो, को पेंशन देय है।

बी.पी.एल./ अन्त्योदय/ आस्था कार्डधारी परिवार/ सहरिया/ कथौड़ी/ खैरवा जाति एवं एचआईवी एड्स पॉजिटिव एवं एड्स कन्ट्रोल सोसायटी में पंजीकृत विधवा/ परित्यक्ता/ तलाकशुदा महिलाओं को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है। योजना के अंतर्गत 18 वर्ष व अधिक किन्तु 55 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को 500 रुपये प्रतिमाह, 55 वर्ष व अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को 750 रुपये प्रतिमाह, 60 वर्ष व अधिक किन्तु 75 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को 1 हज़ार रुपये प्रतिमाह एवं 75 वर्ष व अधिक आयु की पेंशनर को 1,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन देय है।

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 7,945 करोड़ रुपये व्यय कर 17.59 लाख पेंशनरों को लाभान्वित किया गया।

मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना

योजना में 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुष जिनका निर्वाह के लिए स्वयं एवं पति/पत्नी की नियमित आय का कोई स्त्रोत नहीं हो अथवा पत्नी/पति की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय 48 हज़ार रुपये से कम हो, को पेंशन देय है।

बी.पी.एल./ अन्त्योदय/ आस्था कार्डधारी परिवार/ सहरिया/ कथौड़ी/ खैरवा जाति के व्यक्तियों को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है। योजना के अंतर्गत 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को 750 रुपये प्रतिमाह एवं 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देय है।

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 19,299 करोड़ रुपये व्यय कर 54.62 लाख पेंशनरों को लाभान्वित किया गया।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना

योजना के अन्तर्गत विशेष योग्यजन व्यक्ति जो अन्धता, अल्प दृष्टि, चलन निःशक्तता, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति का ह्रास, मानसिक विमंदता, मानसिक रोगी में से किसी एक अथवा अधिक विकलांगता से ग्रसित हो अथवा प्राकृतिक रूप से बौनेपन से ग्रसित हो तथा प्राकृतिक रूप से ट्रांसजेण्डर हो, जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो एवं जिसकी स्वयं की सम्मिलित वार्षिक आय 60 हज़ार रुपये तक हो, पेंशन का पात्र है।

बीपीएल/ अंत्योदय/ आस्था कार्डधारी परिवार/ सहरिया/ कथौड़ी/ खैरवा जाति के विशेष योग्यजन को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गयी है।

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 2,110 करोड़ रुपये व्यय कर 6.15 लाख पेंशनरों को लाभान्वित किया गया।

पालनहार योजना

अनाथ बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही बच्चे के निकटतम रिश्तेदार / परिचित व्यक्ति / वयस्क भाई अथवा बहन को पालनहार बनाकर उनकी देखभाल, पालन-पोषण के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।

योजना के अन्तर्गत अनाथ बच्चे, न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदण्ड / आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के बच्चे, निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के बच्चे, पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे, एच.आई.वी. / एड्स पीड़ित माता-पिता के बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चे, नाता जाने वाली माता के बच्चे, विशेष योग्यजन माता-पिता के बच्चे, तलाकशुदा / परित्यक्ता महिला के बच्चे, सिलिकोसिस पीड़ित माता-पिता के बच्चों को सहायता प्रदान की जाती है।

पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। आवेदन की तिथि से कम से कम 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान में रह रहे हों।

पालनहार योजना में 0-6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को मिलने वाली सहायता राशि 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1500 रुपये एवं 6-18 आयुवर्ग के अनाथ बच्चों के लिए 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रतिमाह की गई है। शेष अन्य सभी श्रेणी के 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे की आयु हेतु 500 रु. प्रतिमाह तथा 6-18 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए 1,000 रुपये प्रतिमाह सहायता दी जाती है। साथ ही, प्रत्येक बच्चे को 2000 रुपये वार्षिक एकमुश्त सहायता दी जाती है।

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 2235.53 करोड़ रुपये व्यय कर 6.64 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, आर्थिक पिछड़ा वर्ग व विशेष योग्यजन श्रेणी के मेधावी अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं नौकरियों के लिये आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी कराने हेतु वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना प्रारम्भ की गई है।

योजना में वे अभ्यर्थी लाभान्वित होते हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय सीमा 8 लाख से कम हो या उनके माता-पिता राजकीय सेवा में पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हों।

योजनान्तर्गत 13302 (अनुसूचित जाति 3973, अनूसूचित जनजाति 2955, अन्य पिछड़ा वर्ग 3053, आर्थिक पिछड़ा वर्ग 1297, विशेष पिछड़ा वर्ग 587, अल्पसंख्यक वर्ग 1174 एवं दिव्यांग वर्ग 263) अभ्यर्थी कोचिंग संस्थाओं से जुड़े हैं। अब तक इसमें 11.62 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

कृषि विभाग

राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना - 2019

योजना 12 दिसम्बर, 2019 को प्रारम्भ की गई है। कृषक कल्याण कोष के अन्तर्गत बोर्ड की स्वयं की निधि से योजना के अन्तर्गत कृषि उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए पूंजीगत, ब्याज एवं विद्युत प्रभार/सौर ऊर्जा अनुदान तथा राज्य के उत्पादों के घरेलू एवं निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन दिये जाने के लिए भाड़ा अनुदान देने का प्रावधान है। गुणवत्तायुक्त उत्पादन, बाज़ार विकास, कौशल विकास आदि के लिए विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता भी दिये जाने का प्रावधान है।

कृषक, कृषक उत्पादक संगठन एवं कृषि उद्योग तथा विपणन से जुड़े व्यक्ति/समूह/संस्था/ प्रतिष्ठान इस योजना का फायदा उठा सकते हैं।

योजना में अब तक 848 आवेदकों को 272.59 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जा चुका है।

योजना के अंतर्गत मिलेट्स की प्रथम 100 प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर 40 करोड़

रुपये का अनुदान, लहसुन के लिए प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, अनार के लिए बाड़मेर, जालोर, संतरे के लिए झालावाड़ एवं भीलवाड़ा, टमाटर एवं आंवले के लिए जयपुर एवं सरसों के लिए अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिलों में प्रसंस्करण इकाइयों को 50 प्रतिशत (अधिकतम 2 करोड़ रुपये) तथा जोधपुर संभाग में जीरा व इसबगोल की निर्यात आधारित प्रथम 10 प्रसंस्करण इकाइयों को पूंजीगत अनुदान में लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम 2 करोड़ रुपये) सहायता की संशोधित अधिसूचना दिनांक 20 मई, 2022 को जारी की गई।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना

दिसम्बर 2019 से लागू इस योजना का उद्देश्य उद्यमों की सरल स्थापना एवं रोज़गार के नये अवसर उपलब्ध कराते हुए वित्तीय संस्थान के माध्यम से ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराना है।

प्रदेश में नये उद्यमों की स्थापना एवं पूर्व स्थापित उद्यमों के विस्तार/ विविधीकरण/ आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 5 से 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत आवेदक के साथ-साथ संस्थागत आवेदक भी पात्र हैं।

योजनान्तर्गत 22,310 आवेदकों को ऋण स्वीकृत कर 18,998 आवेदकों को 4547.76 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये गये।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग

एम.एस.एम.ई. अधिनियम- स्व प्रमाणीकरण

प्रदेश में एम.एस.एम.ई. इकाइयों की सरल स्थापना एवं विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 17 जुलाई, 2019 को राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) अधिनियम लागू किया गया।

योजना के अंतर्गत उद्यमी के आवेदन के पश्चात आवेदन प्राप्ति का प्रमाण-पत्र उसी समय ऑनलाइन पोर्टल पर जारी कर दिया जाता है, इसके तहत उद्यमी को 3 वर्ष तक राजस्थान के अधिनियमों के अन्तर्गत विभिन्न विभागों की किसी प्रकार की स्वीकृति एवं निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, 3 वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 6 माह में आवश्यक स्वीकृतियां उद्यमी को प्राप्त करनी होंगी। वर्ष 2022-23 के बजट में स्वीकृति एवं निरीक्षण में छूट की सीमा को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किये जाने की घोषणा की गई। इसके लिये ऑनलाइन पोर्टल rajudyogmitra.rajasthan.gov.in दिनांक 12 जून, 2019 को शुरू किया गया।

योजनान्तर्गत 15,552 पंजीयन हुए हैं।

उद्योग विभाग

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स)-2019 एवं 2022

राज्य में निवेश एवं रोज़गार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई रिप्स-2019 योजना के अंतर्गत अब तक 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि के निवेश प्रस्तावों के 12,149 प्रकरणों में स्टाम्प ड्यूटी व भूमि रूपान्तरण से संबंधित पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किए गए।

राज्य सरकार ने रिप्स-2022 योजना भी प्रारंभ की है जो कि 7 अक्टूबर, 2022 से 31 मार्च, 2027 तक प्रभावी रहेगी। इस प्रगतिशील निवेश योजना से विनिर्माण और सेवाओं का 15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से विकास, संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा, वर्ष 2027 तक 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना, हरित हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा, चिकित्सा उपकरणों आदि जैसे नवीन क्षेत्रों को प्रोत्साहन और पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहन दिया जाना है।

अब तक रिप्स-2022 के अन्तर्गत 3,200 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों के 126 पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं।

निवेश राशि एवं रोजगार उपलब्धता के अनुसार इसमें लार्ज, मेगा एवं अल्ट्रा श्रेणियां निर्धारित की गई है।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग

जन सूचना पोर्टल-2019

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की मूल भावना से प्रेरित होकर राज्य सरकार द्वारा 13 सितंबर, 2019 को जन सूचना पोर्टल- 2019 का लोकार्पण किया गया। इसमें 115 विभागों की 329 योजनाओं की 688 प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध हैं। आमजन उक्त जानकारी जन सूचना पोर्टल- https://jansoochna.rajasthan.gov.in मोबाइल ऐप एवं सेल्फ सर्विस ई-मित्र प्लस कियोस्क के माध्यम से प्राप्त कर रहे है।

योजना के अंतर्गत अब तक 17.12 करोड़ जानकारियां वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त की गई।

आयोजना विभाग

राजस्थान जन आधार योजना

"राजस्थान जन -आधार योजना, 2019" का शुभारम्भ 18 दिसंबर, 2019 से किया गया। योजना का उद्देश्य राज्य के परिवारों की जन-सांख्यिकीय एवं सामाजिक-आर्थिक सूचनाओं का डेटाबेस तैयार कर प्रत्येक परिवार को "एक नम्बर, एक कार्ड, एक पहचान" प्रदान किया जाना है।

राज्य के सभी निवासी परिवार पंजीयन कराने व जन-आधार कार्ड प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। नामांकित प्रत्येक परिवार को एक 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या सहित एक बारीय निःशुल्क जन-आधार कार्ड प्रदान किया जा रहा है तथा इस कार्ड में मुखिया सहित प्रत्येक सदस्य की 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या भी अंकित की गई है। भविष्य में सभी जन-कल्याण की योजनाओं के लाभ/सेवाओं को इस कार्ड के आधार पर हस्तांतरित किया जाएगा।

योजना के अंतर्गत 1.93 करोड़ परिवारों के 7.52 करोड़ व्यक्तियों का नामांकन किया जा चुका है।

कौशल, रोज़गार एवं उद्यमिता विभाग

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना

युवाओं को बेरोज़गारी के दंश से मुक्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए 1 फरवरी, 2019 से यह योजना शुरू हुई।

राज्य सरकार ने युवाओं में योजना की लोकप्रियता को देखते हुए पुरुष आशार्थियों को 4,000 रुपये प्रतिमाह एवं महिला, विशेष योग्यजन एवं ट्रांसजेंडर श्रेणी के आशार्थियों को 4500 रुपये प्रतिमाह करते हुये लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि कर 1 लाख 60 हज़ार की सीमा को बढ़ाकर अधिकतम 2 लाख किया है। योजना को नियोजनीय बनाते हुए पात्र बेरोज़गार युवाओं को तीन माह का प्रशिक्षण दिलवाकर विभिन्न विभागों में 4 घण्टे प्रतिदिन इंटर्नशिप करवाई जा रही है।

योजना में 6.12 लाख बेरोजगारों को भत्ता स्वीकृत कर 1,697 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

उच्च शिक्षा विभाग

कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना

डूंगरपुर ज़िले की कालीबाई भील ने शिक्षा के लिये अपना जीवन समर्पित किया। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए इस योजना में मेधावी छात्राओं के लिये चल रही अन्य स्कूटी वितरण योजनाओं को एकीकृत किया गया है।

प्रदेश के राजकीय एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 12 तक नियमित छात्रा के रूप में अध्ययन करने एवं सभी वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त, घुमन्तु, अर्धघुमन्तु वर्ग की छात्राओं को कक्षा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित एवं छात्राओं में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने तथा उच्च अध्ययन के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से यह योजना राज्य में संचालित की जा रही है।

योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए छात्राओं को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12वीं में न्यूनतम 65 प्रतिशत प्राप्तांक तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12वीं में न्यूनतम 75 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य है। छात्राएं राजस्थान के किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत होनी चाहिए।

पूर्व में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग से 10वीं कक्षा के परिणाम के आधार पर किसी छात्रा को स्कूटी प्राप्त हुई है तो उसी छात्रा को 12वीं के परिणाम के आधार पर पात्र होने पर 40,000 रुपये एकमुश्त राशि प्राप्त होगी।

किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता/ छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली छात्राएं भी इस योजना में लाभान्वित होंगी।

योजना के अन्तर्गत 3,943 स्कूटी वितरित की गई है।

राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना-2021

राज्य के मेधावी विद्यार्थियों को विदेश के 150 विश्वविद्यालयों/संस्थानों में उच्च अध्ययन हेतु "राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सिलेन्स योजना-2021" 5 अक्टूबर, 2021 से प्रारम्भ की गई है। इसमें प्रत्येक वर्ष राजस्थान के 200 विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। सभी श्रेणी के विद्यार्थियों को सम्पूर्ण कोर्स अवधि की ट्यूशन फीस का 100 प्रतिशत भुगतान किया जाता है।

योजना के अनुसार 8 लाख रुपये से कम पारिवारिक वार्षिक आय वाले विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य खर्चों का 100 प्रतिशत भुगतान (अधिकतम रुपये 12 लाख वार्षिक) एवं 8 लाख रुपये से 25 लाख रुपये पारिवारिक वार्षिक आय वाले विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य खर्चों का 50 प्रतिशत भुगतान (अधिकतम राशि रुपये 10 लाख वार्षिक) देय होता है।

25 लाख रुपये पारिवारिक वार्षिक आय से अधिक आय वाले विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य खर्चों का कोई भुगतान देय नहीं है।

विद्यार्थियों से पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जाते है। प्राप्त आवेदनों के दस्तावेज सत्यापन के पश्चात् पात्र विद्यार्थियों को चयन पत्र जारी किये जाते हैं। संबंधित विश्वविद्यालय से सत्यापन के पश्चात् विश्वविद्यालय को ट्यूशन फीस की राशि का सीधे भुगतान किया जाता है।

योजनान्तर्गत अब तक कुल 244 अभ्यर्थियों का चयन किया जा चुका है, जिनमें से 118 महिला अभ्यर्थी हैं। चयनित अभ्यर्थियों में से कुल 121 अभ्यर्थियों को भुगतान भी किया जा चुका है।

स्वायत्त शासन विभाग

इंदिरा रसोई योजना

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के "कोई भी भूखा नहीं सोए" के संकल्प के साथ 20 अगस्त, 2020 से प्रदेश के सभी 213 नगरीय निकायों में 358 रसोइयों के माध्यम से इन्दिरा रसोई योजना का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना का नाम देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। लाभार्थी को 8 रुपये में शुद्ध, ताजा एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार द्वारा 12 रुपये प्रति थाली अनुदान दिया जा रहा था जिसे दिनांक 1 फरवरी, 2022 से बढ़ाकर

17 रुपये प्रति थाली कर दिया गया है। भोजन मेन्यू में मुख्य रूप से प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती एवं अचार सम्मिलित है।

इस योजना के अन्तर्गत 8.21 करोड़ से अधिक भोजन थाली लोगों को उपलब्ध कराई गई है।

वर्ष 2022-23 में रसोइयों की संख्या बढ़ाकर 1000 की जा रही है, जिससे योजना पर प्रति वर्ष व्यय बढ़कर 250 करोड़ रुपये हो जाएगा। वर्तमान में 951 इंदिरा रसोई संचालित की जा रही हैं।

उच्च शिक्षा विभाग

देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना

योजना का उद्देश्य राज्य की अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड / केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक/ स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक लाने, उनमें प्रतिस्पर्द्धा की भावना विकसित करने, उच्च अध्ययन हेतु आकर्षित करने एवं उच्च शिक्षा के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध कराने तथा आर्थिक सहयोग प्रदान करना है।

योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु राजस्थान मूल की अति पिछड़े वर्ग की वे छात्राएँ जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड / केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण में पूर्णतया 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किये हैं तथा राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हो।

योजनान्तर्गत 2,484 स्कूटी वितरित की गई है।

मुख्यमंत्री कन्यादान/हथलेवा योजना

आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्गों की कन्याओं के विवाह पर आर्थिक सम्बल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना संचालित है। राजस्थान के मूल निवासी को ही यह सहायता देय है।

अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर 31,000 रुपये की सहायता दी जा रही है। शेष सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों, अन्त्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों, पालनहार में लाभार्थियों की कन्याओं के विवाह पर तथा महिला खिलाड़ियों के स्वयं के विवाह पर 21,000 रुपये सहायता दी जा रही है।

कन्या के 10वीं पास होने पर 10,000 रुपये एवं स्नातक पास होने पर 20,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जा रही है।

योजना में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 48,269 लाभार्थियों को 165 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है।

राजस्थान सिलिकोसिस नीति, 2019

सिलिकोसिस बीमारी खासतौर पर खनन, पत्थर तोड़ने, पत्थर पीसकर पाउडर बनाने, गिट्टी बनाने, सेंड स्टोन से मूर्ति बनाने जैसे काम में लगे श्रमिकों को होती है। योजना के अंतर्गत पीड़ितों की स्क्रीनिंग, उपचार एवं प्रमाणीकरण के साथ उनके आश्रितों को सहायता एवं पुनर्वास किया जाता है।

सिलिकोसिस रोग के प्रमाणीकरण पर रोगी को 3 लाख रुपये देय हैं। सिलिकोसिस रोगी की मृत्यु के उपरांत अंतिम संस्कार हेतु 10 हज़ार रुपये एवं परिवारजनों को 2 लाख रुपये देय हैं। सिलिकोसिस पीड़ित को पेंशन 1,500 रुपये प्रतिमाह देय है। सिलिकोसिस विधवा पेंशन के अंतर्गत 55 वर्ष की आयु तक 500 रुपये प्रतिमाह, 55 वर्ष से 60 वर्ष की आयु तक 750 रुपये प्रतिमाह, 60 वर्ष से 75 वर्ष की आयु तक 1,000 रुपये प्रतिमाह एवं 75 वर्ष से अधिक आयु पर 1,500 रुपये प्रतिमाह देय हैं। पालनहार योजना के अन्तर्गत पीड़ित परिवार के 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को 500 रुपये प्रतिमाह, 6 से 18 वर्ष की आयु तक 1,000 रुपये प्रतिमाह एवं प्रत्येक बच्चे को 2,000 रुपये वार्षिक एकमुश्त सहायता दी जाती है। सिलिकोसिस पीड़ित के परिवार को आस्था कार्डधारी परिवार के समान समस्त सुविधाओं यथा N F S A आदि से लाभान्वित किया जाता है।

योजना में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक पुनर्वास के लिए 707 करोड़ रुपये सहायता में दिए गए, वहीं पेंशन के तौर पर 145.96 करोड़ रुपये की सहायता दी गई।

स्वायत्त शासन विभाग

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना

राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेण्डर तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं को स्वरोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, 2021 लागू की गई है। योजना के माध्यम से लाभार्थियों को 50 हज़ार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। योजना का लक्ष्य स्ट्रीट वेण्डर्स, अनौपचारिक क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले लोग जैसे हेयर ड्रेसर, रिक्शावाला, कुम्हार, खाती, मिस्त्री, दर्जी इत्यादि एवं बेरोज़गार युवाओं को आर्थिक संबल देकर पुनर्स्थापित करना है।

राज्य के अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में काम करने वाले 5 लाख लाभार्थियों को इस योजना का फायदा मिलेगा। योजनान्तर्गत ऋण राशि रुपये 25 हजार तक का पुर्नभुगतान चौथे से 15वें माह तक 12 समान मासिक किश्तों में एवं ऋण राशि रुपये 25 हजार से अधिक व 50 हजार तक 18 मासिक किश्तों में पुर्नभुगतान किया जाता है।

41,322 आवेदकों को 153.05 करोड़ का ऋण वितरित किया गया।

वन विभाग

घर-घर औषधि योजना

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 1 अगस्त, 2021 को अपने निवास पर गिलोय का पौधा लगाकर घर-घर औषधि योजना की शुरुआत की।

प्रत्येक परिवार को तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ के पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए गए।

योजना में प्रदेशभर में 518.34 लाख औषधीय पौधे लगभग 65 लाख परिवारों को निःशुल्क उपलब्ध करवाये गये।

वर्ष 2022-23 में योजना के तहत एक परिवार को अधिकतम 8 पौधे दिये जा रहे हैं। साथ ही, अब परिवार चार प्रकार (गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा और कालमेघ) के दो-दो पौधों के स्थान पर किन्हीं भी दो प्रकार के चार-चार पौधे भी ले सकता है। पौधे का वितरण यथासम्भव वन विभाग की नर्सरियों से किया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास विभाग

इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना

2020-21 की बजट घोषणा की पालना में राज्य के 5 ज़िलों, जिनमें 4 जनजातीय ज़िले प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर तथा 1 सहरिया बहुल ज़िला बारां सम्मिलित है, में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा दिनांक 19 नवम्बर, 2020 को प्रारंभ की गई।

वर्ष 2022-23 से योजना को राज्य के सभी 33 ज़िलों में लागू कर दिया गया है। इस योजना में प्रतिवर्ष 3.50 लाख गर्भवती महिलाओं को लाभ प्रदान किया जायेगा।

योजना के अंतर्गत दूसरी संतान से गर्भवती महिलाओं को पांच चरणों में 6,000 रुपये का नकद लाभ दिया जा रहा है।

यह योजना पूर्णतः पेपरलैस है, जिसमें लाभार्थियों को कहीं आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के PCTS सॉफ्टवेयर में दर्ज लाभार्थियों की जानकारी को विभाग के राजपोषण पोर्टल से ऑनलाइन सत्यापन के बाद निर्धारित राशि सीधे उनके जन आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा की जा रही है।

योजनान्तर्गत अब तक 32,924 महिलाओं को 7.1 करोड़ रुपये का लाभ प्रदान किया गया।

ऊर्जा विभाग

मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जून 2021 को योजना का शुभारंभ किया। योजना का लाभ फ्लैट श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं एवं मीटर चालू, बंद अथवा खराब होने की स्थितियों में देय है। यह अनुदान राशि प्रतिमाह अधिकतम 1,000 रुपये एवं प्रतिवर्ष अधिकतम 12,000 रुपये है।

योजना का लाभ सभी किसान उपभोक्ताओं को मई 2021 के बिल से मिलना आरंभ हो गया है।

योजना के अंतर्गत 12.79 लाख किसानों को अक्टूबर 2022 तक 1510.05 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जा चुका है।

7.70 लाख कृषि उपभोक्ताओं का बिजली का बिल शून्य हुआ है।

पर्यटन को उद्योग का पूर्ण दर्जा

वर्षों से पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की मांग की जा रही थी। वर्ष 1989 से अब तक इस तरह की कई घोषणायें की गई हैं, लेकिन वास्तविक रूप से उद्योग का दर्जा नहीं मिल पाया था। राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र को सम्बल प्रदान करने के दृष्टिकोण से ट्यूरिज्म एवं हॉस्पिटिलिटी सेक्टर को इंडस्ट्री सेक्टर के रूप में पूर्ण मान्यता दी गई है। अब इससे भविष्य में इस क्षेत्र पर इंडस्ट्रियल नोर्म्स के अनुसार ही गवर्नमेंट टैरिफ एवं लेवीज़ देय होंगे।

योजनान्तर्गत एन्टाइटलमेन्ट सर्टिफिकेट के लिए राज्य सरकार के SSO पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in पर Tourism Department Services App पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। प्राप्त आवेदन का परीक्षण कर पर्यटन विभाग के स्थानीय पर्यटक स्वागत केन्द्रों द्वारा 30 कार्यदिवस (अधिकतम) में निस्तारण किया जाता है। एन्टाइटलमेन्ट सर्टिफिकेट के आधार पर पर्यटन इकाइयां राज्य सरकार के संबंधित विभागों से औद्योगिक टैरिफ एवं लेवीज़ के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाती है।

पर्यटन विभाग द्वारा अब तक 647 पर्यटन इकाइयों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किये गए हैं।

स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च प्रत्येक परिवार की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। राजस्थान सरकार ने एक मानवीय पहल करते हुए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की है जिससे सभी प्रदेशवासियों को निःशुल्क बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं।

इस योजना के अंतर्गत सरकारी एवं निजी अस्पतालों में हार्ट, कैंसर, न्यूरो, कोविड, ब्लैक फंगस जैसी गंभीर बीमारियों एवं कॉकलियर इंप्लांट, बोनमैरो ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, घुटना प्रत्यारोपण और डायलिसिस जैसे महंगे इलाज भी निःशुल्क उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।

मुझे प्रसन्नता है कि अब तक प्रदेश में 27.60 लाख से अधिक मरीजों ने इस योजना के अंतर्गत लगभग 3195 करोड़ रुपये के निःशुल्क इलाज का लाभ प्राप्त किया है। प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करने की दिशा में यह हमारा एक विनम्र प्रयास है।

मैं आशा करता हूँ कि राजस्थान की तरह प्रत्येक देशवासी को इसी प्रकार निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध हों।

अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री

संवेदनशील पारदर्शी जवाबदेह

राजस्थान सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम और अन्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी https://jankalyan.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

शिकायत/सुझाव सम्पर्क : 181 टोल फ्री हेल्पलाइन

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
राजस्थान सरकार